

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

[भर्ती प्रकोष्ठ]

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-31/2013-स्था. (भर्ती)

No.F.2-31/2013-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

Ansari Nagar, New Delhi-29

Dated/ दिनांक: 2-9 SEP 2020

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में परिचारिका अधीक्षक के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Nursing Superintendent at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 07.08.2020 को परिचारिका अधीक्षक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित उप-परिचारिका अधीक्षक को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 के अंतर्गत परिचारिका अधीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है:-

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee held on 07.08.2020 and its acceptance by the Competent Authority, the following Deputy Nursing Officer are promoted to the post of Nursing Superintendent Level 11 in the Pay Matrix from the date they assume the charge of the post of Nursing Superintendent :-

क्र.सं.	नाम	केन्द्र / विभाग
1.	श्रीमती नानकी रानी/Mrs. Nanki Rani	अ.ज.प्र.ना.अ.ट्रोमा केंद्र/JPNATC
2.	श्रीमती हनुमती देवी/Mrs. Hanumati Devi	अस्पताल/Hospital

उनकी वरिष्ठता परिचारिका अधीक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 07.08.2020 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Nursing Superintendent will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 07.08.2020.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद/आऊटरीच ओ.पी.डी., झज्जर/ राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर, हरियाणा तथा वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित सम्पूर्ण केन्द्र तथा भविष्य में संस्थान द्वारा खोले जाने वाले अन्य केन्द्रों में कार्यरत उनके स्तर के कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Regional Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana), Jhajjar (Haryana) and NDDTC, Ghaziabad.

उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर. 22(I) के अंतर्गत पदोन्नति की तारीख अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तारीख से तय करने का विकल्प चुनें बशर्ते उन्हें आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना/संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अंतर्गत वेतनमान का लेवल-11 प्रदान नहीं किया गया है।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion or from the date of drawal of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted Level 11 of pay matrix under ACP/MACP Scheme.

परिचारिका अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP No. 31288/2017 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस सम्बन्ध में DoPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Nursing Superintendent is subject to outcome of the SLP No. 31288/2017 and connected matters pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory service failing which her service will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान के कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of their services will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[आर.संतोष कुमार/ R. SANTHOSH KUMAR]

प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित अधिकारीगण

(द्वारा: संबंधित केन्द्र के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी)

Persons concerned

Through : Respective Centre's Sr. A.O/A.O

Copy to:-

- 1) चिकित्सा अधीक्षक महोदय / Medical Superintendent
- 2) मुख्य परिचारिका अधिकारी/ Chief Nursing Officer
- 3) वरिष्ठ/ प्रशासनिक अधिकारी-Sr. /Admn. Officer- JPNATC/Hospital
- 4) स्थापना अनुभाग- अस्पताल/ ट्रोमा केंद्र Establishment Section – Hospital/JPNATC
- 5) लेखा अनुभाग-II एंड III/ट्रोमा केंद्र Accounts Section II & III/ JPNATC
- 6) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य विधि अनुभाग /सतर्कता प्रकोष्ठ
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
- 7) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ /संरक्षण मिसिल
ACR's Cell /SC/ST Cell/ Guard File
- 8) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

Sh. Sanjeev Kr. SP

30/09

RECEIVED
Computer Facility

30 SEP 2020